192

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर
संख्या– /XVII-4/2014–10(15)2014

प्रेषक,

एस. राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–04 **देहरादून दिनांक 11 अप्रैल, 2014**

विषय–विकलांग जन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम के अधिष्ठान हेतु विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि के आवंटन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18.03.2014 के सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02–समाज कल्याण, 101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, 11–विकलांगजन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम का अधिष्ठान एवं तद्नुसार मानक मदों के अन्तर्गत समाज कल्याण निदेशालय, उत्तराखण्ड के विकलांगजन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम का अधिष्ठान हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न एलोटमेंट आई0डी संख्या– S14041502276 दिनांक 11-4-14 के अनुसार ₹ 16.20 लाख *(रूपये सोलह लाख बीस हजार मात्र)* की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एंवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर आवंटित करते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
3. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि केवल स्वीकृत मदों पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों में न किया जाए।
4. स्वीकृत मदों में आवंटित धनराशि का उपयोग, यदि किसी अन्य मद में करना आवश्यक हो, तो व्यय/उपभोग करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार शासन अथवा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
5. आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के सम्पूर्ण लेखाशीर्षकों यथा मुख्य/लघु/उप/विस्तृत शीर्षक (मानक मद) तथा तत्सम्बन्धी अनुदान संख्या अयोजनागत/आयोजनेत्तर शब्द आदि का स्पष्ट उल्लेख बिलों में किया जाय, ताकि महालेखाकार से मिलान में असुविधा न हो।
6. स्वीकृति के संलग्नक के अनुसार आवंटित धनराशि को समय से उपयोग करने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों/सम्बन्धितों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय तथा आवंटित धनराशि के उपयोग आदि सूचना यथासमय शासन को प्रेषित किया जाय।

7. संलग्नक में वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त करते हुए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत करायें।

8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियमवाली), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. यह उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा निर्गत धनराशि के उपयोग में मितव्ययता की नितान्त आवश्यकता है। अतः धनराशि उपयोग/व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. बी0एम0–08 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य अवचनबद्ध मदों की धनराशि को आहरण–वितरण अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करा दी जाय कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय, आवश्यकता के आधार पर ही किया जाय तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय, और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जाय।

12. अवचनबद्ध मदें यथा– फर्नीचर, साज–सज्जा, उपकरण क्रय, विद्युत प्रभार, स्टेशनरी/कम्प्यूटर स्टेशनरी, पेट्रोल/डीजल आदि में मितव्ययता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

14. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर पक्ष के अंतर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित मुख्य लेखाशीर्षक 2235–02–101–11 की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

15. यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18.03.2013 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्न– यथोक्त।

भवदीय,

(एस. राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्याः – 225 (1)/XVII-4/2014-10(15)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून।
3. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(बी.आर. टम्टा)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Social Welfare (S045)

आवंटन पत्र संख्या -225 /XVII-4/2014-10(15)/2014

अलोटमेंट आई डी - S1404150276

अनुदान संख्या - 015

आवंटन पत्र दिनांक -11-Apr-2014

HOD Name - Director Social Welfare (4708)

1: लेखा शीर्षक 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

11 - विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वन हेतु क

00 - विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वन हेतु कार्

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	270000	270000
02 - मजदूरी	0	50000	50000
03 - महंगाई भत्ता	0	300000	300000
04 - यात्रा व्यय	0	15000	15000
06 - अन्य भत्ते	0	30000	30000
07 - मानदेय	0	10000	10000
08 - कार्यालय व्यय	0	15000	15000
09 - विद्युत देय	0	30000	30000
10 - जलकर / जल प्रभार	0	10000	10000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	15000	15000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	50000	50000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्र	0	50000	50000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	0	125000	125000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्व	0	250000	250000
18 - प्रकाशन	0	25000	25000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	0	20000	20000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	0	5000	5000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	0	15000	15000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	25000	25000
42 - अन्य व्यय	0	20000	20000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	0	15000	15000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	0	25000	25000
	0	**1370000**	**1370000**

2: लेखा शीर्षक 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

11 - विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वन हेतु क

00 - विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वन हेतु कार्

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अन्य व्यय	0	250000	250000
	0	**250000**	**250000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 1620000